

प्रेषक

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 28 मार्च, 2018

विषय:-

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 06 मार्च, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रत्येक 06 माह की अवधि में प्रदत्त 15 दिनों का उपार्जित अवकाश लैप्स नहीं किये जाने अर्थात् अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को विभिन्न सुविधायें अनुमन्य किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 13 जून, 2017 के प्रस्तर-(3)(क) में उपार्जित अवकाश की अनुमन्यता हेतु उल्लिखित प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

प्रत्येक 06 माह की सेवा के उपरान्त 15 दिवसों का उपार्जित अवकाश देय होगा, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा अवकाश का उपभोग नहीं किया जाता है तो अर्जित अवकाश को अग्रेनीत कर दिया जायेगा। इस प्रकार संचित अवकाशों की संख्या एक कैलेन्डर वर्ष में 30 दिवस से अधिक नहीं होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह कि उक्तानुसार संचित अवकाशों का नकदीकरण किसी भी दशा में देय नहीं होगा।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-80/XXVII(10)/2018, दिनांक 23-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 93 /XXX(4)/2018-03(6)/2015, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
sewa
(हेमा पाण्डे)
अनु सचिव